दायर दिनांक :– 10.11.2017

अनवान

श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नि हनुमानदास वैष्णव नि. रामगढ तह. जहाजपुर

वादी........

बनाम

1. श्री प्रभुलाल पिता कालूदास वैष्णव नि. रामगढ तह. जहाजपुर

2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 10.03.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम रामगढ प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर की आ.न. 299/239 रकबा 05.00 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 26.08.2019 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :—

ग्राम रामगढ प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रभुलाल पिता कालूदास वैष्णव सा. देह खातेदार रहन बी ओ बी जहाजपुर	299 / 239	02.10	बंजड II	0.25
		कुल किता 01	02.10		0.25
2	सुमित्रा देवी पत्नि हनुमानदास वैष्णव सा. देह खातेदार	311 / 239	02.10	बंजड II	0.25
		कुल किता 01	02.10		0.25

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग—2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना—2 वहन करे।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)